18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 011188

विक्रय पत्र

मैं सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामनिवास यादव, आयु 30 वर्ष, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, पोस्ट कासली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर बहैसियत मुख्तयार आम श्री राजेश यादव पुत्र श्री रामनिवास यादव, निवासी फतेहपुरा कलां, पोस्ट कासली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर ।

-- प्रथम पक्षकार-विक्रेता

ब हक

सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति, फतेहपुरा कलां, पोस्ट कासली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, नि० फतेहपुरा कलां, जिला जयपुर ।

-- द्वितीय पक्षकार-क्रेता

के हक में यह विक्रय पत्र निम्न प्रकार निष्पादित कर देता हूँ कि :-

रजिस्ट्रार, जयपुर

सन्तोष

...RAR, JAIPUR-VII

यह कि श्री राजेश कुमार यादव की खातेदारी व कब्जा-काश्तसुदा कृषि भूमि सरहद मौजा फतेहपुरा कलां, पटवार क्षेत्र कासिली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नारेहड़ा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर में खसरा नंबर 275 रकबा 0.2800 हेक्टर किस्म चाही द्वितीय, जाव द्वितीय स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 में खेवट खतौनी संख्या नया 192 पुराना 273 में श्री राजेश पुत्र श्री रामनिवास जाति अहीर सा0 देह दर्ज है। उक्त कृषि भूमि श्री राजेश की एकल खातेदारी व कब्जा-काश्तसुदा है जिसमें अन्य किसी का भी कोई कब्जा-काश्त, खातेदारी अधिकार नहीं है। श्री राजेश को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग-उपभोग खातेदार काश्तकार की हैसियत से करने के प्राप्त है। श्री राजेश को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को हर प्रकार से विक्रय-हस्तान्तरण, अनुबन्ध इत्यादि करने तथा आमव खास मुख्त्यार नियुक्त करने के समस्त विधिक अधिकार प्राप्त है और श्री राजेश ने अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुझ सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामनिवास यादव के हक में मुख्त्यार नामा दिनांक 10-11-07 को निष्पादित एवं लिपिबद्ध करके उक्त मुख्त्यार नामा को नोटरी पब्लिक, कोटपूतली से अटेस्टेड करवा दिया। श्री राजेश जीवित है और उसने उक्त आम मुख्त्यार नामा को निरस्त/रिवोक/केन्सिल/रद्द नहीं किया है। उक्त मुख्त्यार नामा आज दिन प्रभावशील है। उक्त मुख्त्यार नामा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह विक्रय पत्र श्री राजेश खातेदार की ओर से उसके मुख्त्यार सुरेन्द्र सिंह यादव द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

यह कि प्रथम पक्षकार को अपनी घरेलू एवं निजी जायज जरूरत हेतु धनराशि की आवश्यकता है इसलिये प्रथम पक्षकार ने उक्त विवरण वाली कृषि भूमि खसरा नंबर 275 रकबा 0.2800 हेक्टर तथा उसमें मौजूद पाला-पूला, प्राकृतिक पेड-पौधे, मेड़-धोरा सहित को द्वितीय पक्षकार को बएवजप्रतिफल राशि रू0 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पच्चास

सुरेन्द्र सिंह सन्तोष

हजार रूपये मात्र में विक्रय करना तय कर विक्रय कत्तई कर दिया है और द्वितीय पक्षकार ने उक्त प्रतिफल राशि की एवज में उक्त कृषि भूमि सहर्ष क्रय करना स्वीकार करते हुए उक्त वर्णित संपूर्ण प्रतिफल राशि नकद मुझ आम मुख्तयार को भुगतान कर दी है अर्थात संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्ति की पुष्टि करता हूँ। अब कोई प्रतिफल राशि आप द्वितीय पक्षकार में प्रथम पक्षकार की बकाया नहीं रही है।

यह कि उक्त विवरण वाली कृषि भूमि मय उस पर मौजूद पेड़-पौधे, पाला-पूला, मेड़-धोरा सहित का वास्तविक एव मालिकाना भौतिक कब्जा प्रथम पक्षकार श्री राजेश ने मुझ आम मुख्तयार की उपस्थित में द्वितीय पक्षकार को मौके पर सौंप दिया है और द्वितीय पक्षकार मौके पर काबिज मालिक हो गये है। अब द्वितीय पक्षकार उक्त कृषि भूमि का उपयोग-उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे, काश्त कर सकेंगे, खातेदारी एंव नामान्तरकरण द्वितीय पक्षकार के नाम से स्वीकृत करवा सकेंगे, लाभ अर्जित कर सकेंगे, विक्रय-हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि कर सकेंगे, आम व खास मुख्तयार नियुक्त कर सकेंगे जिसमें प्रथम पक्षकार व उसकी आल-औलाद, वली-वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, प्रतिनिधि इत्यादि एव मुझ आम मुख्तयार को कोई उज्र, एतराज आपत्ति, दखल, दावा, हस्तक्षेप नहीं होगा और न ही कोई कर सकेगा और यदि कोई करेगा तो वह इस लेख्य पत्र के जरिये सर्वथा झूँठा समझा, माना एव पढा जावेगा और उसको द्वितीय पक्षकार के हक व अधिकारों के विरूद्ध कोई हक व अधिकार उत्पन्न, सृजित एव प्राप्त नहीं होगा।

यह कि प्रथम पक्षकार श्री राजेश व उसके आम मुख्तयार ने उक्त विवरण वाली कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को द्वितीय पक्षकार केअलावा अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार से विक्रय-हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि नहीं किया है, न ही किसी प्रकार का कोई सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी व जन साधारण से कोई ऋण प्राप्त किया है, न ही किसी वित्तिय संस्थान से कोई ऋण प्राप्त किया है, न ही बकाया है, न ही किसी अन्य को आम व खास

8	पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर	:	16.62 / – प्रति वर्गमीटर
9	चालान की संख्या तथा तारीख सहित संपरिवर्तन प्रभारो के अन्तर की जमा कराई गई रकम	:	जी.आर.एन. 23655421 दिनांक 25.06. 2018 राशि 6620 / –राजकोष में जमा करवाई गई
10.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	:	नहीं
11	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	:	नही
12.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो	:	नही

13. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम–4 यथा– वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर एन.एच.ए.आई से तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / अन्य सड़क मार्ग जहा से सपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार सड़क हेतु छोडी गई भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
6. निकटस्थ नगरपालिका / स्थानीय निकाय की उपविधियों के अनुसार निर्धारित सैट बेक छोड़ते हुए निर्माण कार्य कराया जावेगा।
7. रूपान्तरित भूमि से संबंधित यदि किसी प्रकार की देयता निर्धारित की जाती है तो देय राशि भूमिधारक / आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प. 6 (6) राज–6 / 92 पार्ट / 21 दिनांक 27–06–2007 एवं कमांक प. 6 (6) राज–6 / 92 पार्ट / 23 दिनांक 17–07–2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. आवेदित भूमि में से यदि पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15–5–08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
10. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र / निर्देशों की सभी शर्ते लागू होगी।

विहित प्राधिकारी की मुहर

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली

कमांक : राजस्व – / 2018 / 1172-1175

दिनांक :– 19/7/18

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर।
2. तहसीलदार कोटपूतली।
3. सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संन्तोष पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
4. कार्यालय प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

(देखिये नियम 10(4))

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

क्रमांक : राजस्व –II/2018/ दिनांक

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संन्तोष पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान के आवेदन पर पहले से अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 (द्वितीय संशोधन–2016) के नियम 10(4) के अधीन अकृर्षि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गयी है :–

1		आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पुरा पता	:	सन्तोष तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संन्तोष पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान
2		क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नही
3		आदेश की संख्या और दिनांक उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक राजस्व –II/2007/916–919 दिनांक 06.11.2007 तथा राजस्व –II/2008/ 127–130 दिनांक 08.02.2008 के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित
4		सपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन		सस्थानिक(शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5		संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा		
	क	ग्राम/पंचायत/तहसील का नाम	:	ग्राम फतेहपुरा कलां, ग्राम पंचायत कांसली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान
	ख	भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा का क्षैत्रफल (हैक्टर में)	:	ग्राम फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के आराजी खसरा नं. 275/0.28 मे से 0.05 तथा 954/275/0.27 मे से 0.05 किता 2 कुल रकबा 0.55 मे से 0.10 हैक्ट0
	ग	संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टयर एवं वर्गमीटर में)	:	ग्राम फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के आराजी खसरा नं. 275/0.28 मे से 0.05 तथा 954/275/0.27 मे से 0.05 किता 2 कुल रकबा 0.55 मे से 0.10 हैक्ट0(1000 वर्गमीटर) भूमि रूपान्तरित की गई।
टिप्पणी				
	अकृर्षि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसगंत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		:	
6	मूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर		:	10/–प्रति वर्गमीटर
7	मूल आवेदन के साथ जमा करायी गई प्रीमियम की रकम, चालान की संख्या व दिनांक		:	चालान संख्या 740 दिनाक 3.11.2007 राशि 5000/–, चालान संख्या 1002 दिनांक 06.02.2008 राशि 5000 कुल राशि 10000/–

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

भारतीय गैर ... IAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN A 921835

!! श्रीरामजी !!

-:: विक्रय - पत्र ::-

मै सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामनिवास यादव, उम्र 31 वर्ष, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान) (विक्रेता)

बनाम

सन्तोष तकनीकी एंव शैक्षणिक विकास समिति, फतेहपुरा कलां, पोस्ट कांसली, तहसील कोटपूतली, जरिये अध्यक्ष श्रीमती सन्तोष यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान) (क्रेता)

सन्तोष

उप-पंजीयक, कोटपूतली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN A 921836

जोकि मेरी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज0) में स्थित खसरा नम्बर 954/275 रकबा 0.27 हैक्टेयर है। उक्त खसरा नम्बर में से 500 वर्गमीटर भूमि मैनें कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश क्रमांक राजस्व-II/2007/916 दिनांक 06-11-07 के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवा रखी है। उक्त भूमि प्रत्येक प्रकार के आड़, भार, ऋण आदि से मुक्त है तथा पूर्व में किसी के रहन या विक्रय आदि नहीं है। अब मुझे दिगर कार्यो वास्ते रूपयो की आवश्यकता है इसलिए मैने अपने स्वस्थचित्त एवं स्थिर बुद्धि से उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर की भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि (वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ) के हक खातेदारी कब्जा, हक पूला, पेड़, सुखाधिकार बहक सन्तोष तकनीकी एंव शैक्षणिक विकास समिति, फतेहपुरा कलां, पोस्ट कांसली, तहसील कोटपूतली, जरिये अध्यक्ष श्रीमती सन्तोष यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, जाति अहीर, निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली,

सन्तोष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

A 921837

जिला जयपुर (राजस्थान) को बिल एवज 4,00,000/- अंकेही चार लाख रूबयों में विक्रय कर दी है। बिल एवज की चूकती रकम क्रेता से नगद प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी लेना बाकी नहीं रहा है। आराजी का कब्जा क्रेता को मौके पर वास्तविक रूप से करवा दिया है। क्रेता को भूमि के मुतालिक सभी हक हकूक आदि प्राप्त हो गये है जो मुझे प्राप्त रहे है। क्रेता को हक हासिल हो गया है कि आराजी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लेवे, राजलगान अदा करे, भूमि को रहन या विक्रय आदि करे। विक्रित भूमि में मेरा कोई हित किसी किश्म का बाकी नहीं रहा है। मेरे हक की कमी से विक्रित भूमि क्रेता के हक से निकल जाती है तो इसी कदर व रकबे की भूमि तथा हर्जा खर्चा आदि का उत्तरदायी मै व मेरे बाद मेरे वारिसान उत्तरदायी रहेगें। उक्त भूमि में कुआं, बोरिंग या निर्माण आदि नहीं है। उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है।

सन्तोष

मुकेश

देखिये नियम 9(3)(4) तथा (6))

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली(जयपुर)

क्रमांक : राजस्व–II / 2021 / 1434 दिनांक :– 18-10-2021

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

संतोष तकनीकि एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संतोष पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भुमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 (द्वितीय संशोधन–2016) के नियम 9 के अधीन अकृर्षि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गयी है:–

1.	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता / पति का नाम सहित पुरा पता	:	संतोष तकनीकि एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संतोष पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–		
	क ग्राम / पंचायत / तहसील का नाम	:	ग्राम फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
	ख भूमि का खसरा नंबर और प्रत्येक खसरा का क्षैत्रफल (हैक्टर में)	:	ग्राम फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित खसरा नं0 275 रकबा 0.23 हैक्टे0
	ग संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टयर एवं वर्गमीटर में)	:	खसरा नं0 275 / 0.23 हे0 में से सम्पूर्ण यानि 2300 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
	टिप्पणी		
	अकृर्षि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुरागंत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	:	हाँ
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण
5.	संदेय प्रिमियम की दर	:	11.08 / – प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	:	अन्तर राशि GRN 54002754 दिनांक 28.09.2021 राशि 11330 / – कुल राशि 11330 / – राजकोष मे जमा करवाई गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शस्ति यादि कोई हो, जमा कराई गई रकम	:	नही
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	:	नहीं
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	:	नही
10.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो	:	पूर्व में तहसीलदार कोटपूतली से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने पर वर्तमान में रूपान्तरण की किस्म परिवर्तन पर अन्तर राशि जमा की गई।

उप पंजीयक, कोटपूतली

डॉ. टी. शुभमंगला
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

14. उपरोक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।

15. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

16. इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित भूमि मे कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा तथा संपरिवर्तित भूमि का उपयोग/निर्माण भी इस संबंध मे लागू आई0आर0सी0 व एन0एच0ए0आई0 के नियमों/प्रावधानो व गाईडलाईन अनुसार ही किया जावेगा।

17. नियम–4 मे यथा– वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

18. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर एन.एच.ए.आई से तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

19. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहा से सपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार सड़क हेतु छोडी गई भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

20. निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों के अनुसार निर्धारित सैटबेक छोड़ते हुए निर्माण कार्य कराया जावेगा।

21. आवेदक संपरिवर्तित भूमि के निर्माण/उपयोग से पूर्व आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे विहित प्राधिकारी को बिल्डिंग प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के पश्चात ही संपरिवर्तित भूमि का उपयोग/निर्माण अनुमोदित प्लान के अनुसार किया जावेगा।

22. रूपान्तरित भूमि से संबंधित यदि किसी प्रकार की देयता निर्धारित की जाती है तो देय राशि भूमिधारक/आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।

23. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प. 6 (6) राज–6/92 पार्ट/21 दिनांक 27–06–2007 एवं कमांक प. 6 (6) राज–6/92 पार्ट/23 दिनांक 17–07–2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।

24. आवेदित भूमि में से यदि पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15–5–08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

25. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्ते लागू होगी।

26. प्रदूषण नही फैलाया जायेगा तथा पर्यावरण संबंधी समस्त नियमो, कानूनो, निर्देशो इत्यादि की अनुपालना की जावेगी।

विहित प्राधिकारी मुहर

(डॉ. टी शुभमंगला)
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

कमांक : राजस्व–II/2020/1435-39 दिनांक :– 18-10-2021

प्रतिलिपि:–

05. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर।
06. तहसीलदार कोटपूतली/उप पंजीयक कोटपूतली।
07. संतोष तकनीकि एवं शैक्षणिक विकास समिति फतेहपुरा कलां जरिये अध्यक्ष संतोष पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति यादव निवासी फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली
08. कार्यालय प्रति।

(डॉ. टी शुभमंगला)
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)